

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपसम्पन्नधिकारी (राजस्व) गौहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोवर (आर०ए०ए०)

वाच सं० : 51 राग 2022

अनवान :-

1. जयपाल पुत्र मंगतुसिंह जाति राजपूत शाकिन मन्दरपुरा तहसील गौहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार राजस्व गौहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वाकत दुकरती अन्तर्गत धारा 136

गू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 06/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार रो है कि प्रार्थी ने जारिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 745/347 के खसरा संख्या 1173/220 की कुल 4.7550हेक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण जयपाल पुत्र मंगतुराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जयपाल पुत्र मंगतुसिंह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम जयपाल पुत्र मंगतुसिंह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140हेक् भूमि में प्रार्थी का नाम जयपाल पुत्र मंगतुराम के स्थान पर जयपाल पुत्र मंगतुसिंह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 745/347 के खसरा संख्या 1173/220 की कुल 4.7550हेक् भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण जयपाल पुत्र मंगतुराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जयपाल पुत्र मंगतुसिंह है यही

(22)

उपसम्पन्न अधिकारी
गौहर

नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम जयपाल पुत्र मंगतुसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम जयपाल पुत्र मंगतुराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम जयपाल पुत्र मंगतुसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम जयपाल पुत्र मंगतुसिह दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार का ऐतराज नहीं होने पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 745/347 के खसरा संख्या 1173/220 की कुल 4.7550 हैक् भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम जयपाल पुत्र मंगतुराम के स्थान पर जयपाल पुत्र मंगतुसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 6/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व / शीडर / 2022 / 2223

दिनांक :- 05/07/2022

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 51/2022 अनवानी जयपाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. जयपाल पुत्र मंगतुसिंह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 51/2022 अनवानी जयपाल बनाम सरकार में दिनांक 04/07/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 745/347 के खसरा संख्या 1173/220 की कुल 4.7550 हैक्ठु भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम जयपाल पुत्र मंगतुराम के स्थान पर जयपाल पुत्र मंगतुसिंह संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर